सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक :सा॰3486/2025

दिनांक : 28.05.2025

कार्यालय-ज्ञाप

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र संख्या-354/सत्तर-4-2025 लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार विश्वविद्यालय के विभागों से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कराकर कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 31.05.2025 तक शासन को उपलब्ध कराने हेतु अधोलिखित महानुभावों की समिति गठित की जाती है -

1. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल - अध्यक्ष
2. डॉ. रविशंकर पाण्डेय - सदस्य
3. डॉ. नितिन आर्य - सदस्य
4. श्री सुनील कुमार चौधरी - सदस्य

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्नक-यथोक्त

(राकेश कुमार)
आई॰ए॰एस॰
कुलसचिव

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. समिति के समस्त महानुभाव।
4. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय के बेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु।
5. समस्त सहायक कुलसचिव
6. अधीक्षक,प्रशासन/लेखा।
7. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
8. समस्त विभागानुभाग।
9. सम्बद्ध पत्रावली।

28/5/2025

(राकेश कुमार)
आई॰ए॰एस॰
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल/समयबद्ध

संख्या– 354/सत्तर–4–2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ :दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार अपने विश्वविद्यालय के विभागों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कराकर कुलपति के अनुमोदनोपरान्त **दिनांक 31.05.2025 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र में इस तथ्य का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सभी संबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्या:-355/सत्तर-4-2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजनान्तर्गत शोध प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोधकार्य हेतु शासनादेश सं0-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के दिशा-निर्देश (यथासंशोधित) के आलोक में राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध प्रस्ताव **दिनांक** 31-05-2024 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के शोध प्रस्ताव कुलपति के अनुमोदनोपरांत कुलसचिव के माध्यम से एवं महाविद्यालयों से संबंधित शोध प्रस्ताव क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत शासन को प्रेषित किये जाएंगे।

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि रिसर्च एण्ड डेवपलमेंट योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। अतः इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाय कि शोध प्रस्ताव से सम्बन्धित शिक्षक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्थायी एवं नियमित रूप से नियुक्त है।

इस योजनान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों के शोध-प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी जिनका आवेदन के समय नैक मूल्यांकन वैध है, अथवा कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा इस आशय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि 01 वर्ष के भीतर नैक मूल्यांकन करा लिया जायेगा।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

HEA 2024 R&D पत्रावली

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध प्रस्ताव **दिनांक 31-05-2025** तक शासन को उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

E-mail : upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council

Phone : 0522-[illegible]
0522-[illegible]

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक 226 / [illegible] / [illegible] / 16-17
दिनांक 01/05/ [illegible] 2025

कुल0स0 965/2025
02/05/25

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-354 / सत्तर–4–2025 दिनांक 25 अप्रैल, 2025 (प्रतिसंलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार आपने विश्वविद्यालयों के विभागों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कराकर कुलपति के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 31.05.2025 तक अपने स्तर से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 दिनेश कुमार)
अपर सचिव

पत्रांक : — / रा0उ0शि0प0 / — / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन / सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।

(डॉ0 दिनेश कुमार)
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner